न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 30 / 2018 (बंटवारा वाद)

आदेश

22.06.2021
23.09.2021 कोविड–19 के कारण वाद आज प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार दिनांक 05.11.2020 आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन को संचालित करते हुए यह अभिकथन करते हैं कि वाद पत्र के पैरा 02,03,04, एवं 08 में "Rasik" के स्थान पर टाईपिंग भूलवश "Rasid" हो गया है तथा पैरा 07 के चौथे पंक्ति में "bound" के स्थान पर टाईपिंग भूलवश "bees" हो गया है, पैरा 08 के पंक्ति 02 में "pending" के स्थान पर "pening" हो गया है, पेज नं0 09 के पाँचवे पंक्ति में "Gogri" के स्थान पर "Khagaria" हो गया है। इसलिए दिनांक 05.11.2020 के दाखिल आवेदन को स्वीकार कर वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय।

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 09.03.2021 का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण अपने प्रतिउत्तर के पैरा 03 में अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण के संशोधन से यदि वाद पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है तो औपचारिक संशोधन से मुझे आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाद पत्र में यह भूल टाईपिंग के कारण हुआ है। यह एक औपचारिक प्रकृति का संशोधन है जिसके संशोधन से वाद पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 05.11.20 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि 14 दिनों के अन्दर वाद पत्र में संशोधन करे। वाद दिनांक 15.11.2021 वास्ते अग्रिम किया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश